उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद्, देहरादून।

पता– अल्पसंख्यक कल्याण भवन, शहीद भगत सिंह कालोनी, निकट छात्रावास, अधोईवाला, देहरादून।
फोन/फैक्स नं0 0135-2975456 website www.ukmadarsaboard.org.in, Email-ukmadarsaboard@gmail.com

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित मदरसों में दिनांक 01.10.2024 से दिनांक 15.02.2025 तक मुंशी/मौलवी, आलिम अरबी–फारसी, कामिल एवं फाजिल के आवेदन फार्म भराये गये है।

प्रश्नगत प्रकरण में स्पष्ट कराना है कि मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद् के सम्बन्ध में विशेष अनुमति याचिका संख्या–8541/2024 अंजुम कादरी व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य दाखिल की गयी है, जिसमें मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सुनवाई करते हुए पारित आदेश दिनांकित 05.11.2024 के निष्कर्ष बिन्दु 104 (d) निम्न् लिखा गया है:–

> "d. The Madarsa Act is within the legislative competence of the State legislature and traceable to Entry 25 of List lll. However, the provisions of the Madarsa Act which seek to regulate higher-education degrees, such as Fazil and Kamil are unconstitutional as they are in conflict with the UGC Act, which has been enacted under Entry 66 of List l."

अर्थात मदरसा बोर्ड द्वारा करायी जाने वाली कामिल एवं फाजिल असंवैधानिक है।

प्रकरण में यह भी स्पष्ट करना है कि मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में दिनांक 01.02.2025 को आहूत परिषद् की 17वीं बैठक में उत्तराखण्ड मदरसा शिक्षा परिषद् से कामिल एवं फाजिल को नहीं कराये जाने तथा साथ ही जिन परीक्षार्थियों द्वारा कामल एवं फाजिल के फार्म भरे गये है उनका शुल्क नियमानुसार वापस किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः मा0 उच्चतम् न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 05.11.2024 में पारित आदेश एवं परिषद् की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में इस वर्ष कामिल एवं फाजिल की परीक्षा नहीं करायी जायेगी।

भवदीय

(मो0 ओबैदुल्लाह अंसारी)
उप रजिस्ट्रार,

पत्रांक: 585 उ0म0शि0प0/परीक्षा–2025/आदेश/2024–25 दिनांक 14 फरवरी, 2025

पृष्ठांकन संख्या: /2024–25 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/ऊधमसिंहनगर/नैनीताल।

1. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, अरबी फारसी परीक्षा 2024–25 में सम्मिलित समस्त मदरसे।

उप रजिस्ट्रार,